Run by: *Maa Rewati Educational and Welfare Society*

MAA REWATI COLLEGE OF EDUCATION

(Recognised by: N.C.T.E. & Affiliated to R.D.V.V. Jabalpur)
Jantipur Road, Badi Khairi, Mandla (M.P.)-481661
Phone: 0764-2291912, Website: www.mrcedu.com
Email: mrcedu1@gmail.com

DVV – 1.3

Number of seats earmarked for reserved category as per GOI/ State Govt. rule year wise during the last five years.

DVV Query

- Provide document showing the State Government / Central Government reservation policy for admission in higher education.

Institution Response

- **Admission list enclosed, Provide document showing the State Government / Central Government reservation policy for admission in higher education.**

Principal
Maa Reweti College of Education
Mandla (M.P.)

Translated copy of M. P Higher Education

Admission Guidelines 2019-20

12. Reservation: According to the reservation policy of the Madhya Pradesh government.

12.1] 16 and 20 percent seats will be reserved for Scheduled Caste (SC) and Scheduled Tribe (ST) applicants respectively. The categories of these two classes will be interchangeable.

12.2] 14 percent seats will be reserved for applicants belonging to backward classes (except creamy layer).

12.3] Sons/daughters and grandsons/granddaughters of freedom fighters, sons/daughters of soldiers who have attained martyrdom or become permanently disabled in the line of duty in the Indian Army and dependents of former and serving army personnel. 03 percent seats will be reserved for the children of the Central Armed Police Force and for the applicants of the disabled category of these categories jointly, by giving a surcharge of 10 percent marks to the applicants of the disabled category, the combined merit of three classes has been determined. Provided that this reservation will be made available only from the seats reserved for the concerned cadre. The priority order of personnel/officers of the Indian Armed Forces will be as follows

1. Widow of the martyr and their dependents during the war.

2. Permanently disabled, serving soldiers and their dependents during the war.

3. Dependents of martyrs in service during peace.

4. Permanently disabled persons and their dependents during service in peace.

5. Dependents of serving or ex-servicemen awarded with the following gallantry medals, Param Vir Chakra, Ashok Chakra, Best War Service Medal, Maha Vir Chakra, Kirti Chakra, Uttam Seva Medal, Vir Chakra, Shaurya Chakra, Yudh Seva Medal, Army, Navy / Air Mention in Sena Medal Letters.

6. Dependents of Ex-Servicemen.

7. Dependents of serving soldiers.

12.4] 3 percent seats will be reserved for the applicants of the disabled category, but this reservation will be made available only from the seats reserved for the concerned cadre. Disabled persons will be given a relaxation of 5% in the qualifying marks at the time of admission.

12.5] NCC For applicants who have passed 'C' certificate, 1 percent of the sanctioned seats in the college will be reserved at the postgraduate level.

TRULY TRANSLATED FROM HINDI TO ENGLISH

NOTARY MANOHAR PATHAK M.P. INDIA Distt.-Bhopal
THE BHOPAL SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES BHOPAL

12.6 Out of the available seats in all categories, 30 percent seats will be reserved for girl students.

12.7 Department of Higher Education, Government of Madhya Pradesh and its subordinate offices, Commissioner's Office, all concerned cadres for the wards of officers and employees working in higher education, principals, professors, librarians, sports officers, registrars and third and fourth class employees working in government colleges. Out of the available seats, 5% of the seats will be kept reserved.

12.8] If a reserved category candidate appears in the general category / open competition in the merit list as per rules due to getting more marks, then the reserved category seats will remain unaffected. But if such a student belongs to any other cadre like freedom fighters etc., then the seat of the concerned cadre will be considered as filled in that specific reserved category. Remaining seats of the concerned specific cadre will be filled as per eligibility

12.9 Admission to Minority Status Colleges:

Minority institutions will have to register on the portal of the Department of Higher Education (www.mphigherducation.nic.in) and enter the information about the courses run by the respective university, their seat number, fee etc. in their institution on the portal, and verification of these courses. The concerned mapping will have to be done by the college by the stipulated date.

There will be no restriction of reservation of SC/SC/OBC in minority institutions. Minority institutions will have to enter the information of the students admitted with them in the online module available on the department's admission portal (www.epravesh.nic.in). This process must be completed by the last date fixed for reporting as per the online admission process schedule. Minority Institutions on the Higher Education.

12.9.1 Such non-government colleges which have the status of minority colleges, and want to apply for joining the offline admission process, then they will have to compulsorily submit the application along with the following documents to the Higher Education Department on the prescribed dates

A. Updated no-objection certificate issued by the government for the current session.
B. Updated affiliation certificate issued by the University for the current session.
C. Valid certificate of being a minority institution/college.
D. Certificate of updated Governing Body / Management list registered in Registrar Firm and Society office.
E. Institution wise unitary information of minority category / non-minority category students admitted in the previous year.
F. Application of the institution to keep it free from the online admission process.

12.9.2 Mapping colleges, while verifying the profile of the concerned minority college, will match the original copies of 6 documents mentioned in 12.9.1 and upload them on the portal along with the signature and Seal of the verification officer.

TRULY TRANSLATED FROM HINDI TO ENGLISH

It is the responsibility of the concerned university to re-verify the colleges added on the portal and it is mandatory for them to verify through the link given on the portal within the given time limit. The responsibility of getting the above re-verification will also be of the concerned college. If the time limit is not re-verified by the university, then in this situation the said college will not be able to participate in the admission process.

12.10] If the percentage of reserved seats is less than half, then the reserved seats will not be available in the same category. Only if it falls between half to one percent, the number of reserved seats will be considered as one.

12.11] As per para 2.5 in the CLC round the reserved category vacancies mentioned earlier in the last phase will be available to the applicants of the unreserved (general) category.

12.12] Reservation rules issued by the government from time to time will be followed.

12.13] Such courses in the Ordinance for which admission is to be given through written examination. Eligible applicants will have to register their preference for the respective institution and course by registering on the portal. The concerned institution will conduct the entrance examination of the registered applicants and give admission as per rules. Will compulsorily enter the information of the admitted applicants on the portal.

TRULY TRANSLATED FROM HINDI TO ENGLISH

Translated by me,
From Hindi to English Version
Name Fr. Johnson P.S.
Add.: BSSS College Campus Habibganj Bhopal

ATTESTED
20/6/2022
MANOHAR PATHAK
NOTARY BHOPAL M.P. INDIA

THE BHOPAL SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES BHOPAL

B.ED

मध्य प्रदेश शासन

उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालय,भोपाल

//आदेश//

भोपाल,दिनांक 08/05/25

क्रमांक 259 /42/सी.सी./24/38 : राज्य शासन एतद् द्वारा सत्र 2024-25 के लिये मध्यप्रदेश के शासकीय/ अनुदान प्राप्त अशासकीय / निजी अशासकीय महाविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद् (NCTE) के पाठ्यक्रम हेतु प्रवेश नियम, मार्गदर्शी सिद्धांत ऑनलाइन प्रवेश समय-सारणी जारी किये जाते हैं ।

संलग्न:- प्रवेश नियम/मार्गदर्शी सिद्धांत

(वीरन सिंह भलावी)
अवर सचिव
म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ.क्रमांक 260/42/सी.सी./24/38

भोपाल,दिनांक 08/05/25

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल, राजभवन सचिवालय, मध्यप्रदेश ।
2. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी,उच्च शिक्षा विभाग,मंत्रालय,भोपाल ।
3. स्टाफ आफीसर, अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय ।
4. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुड़ा भवन,भोपाल ।
5. अध्यक्ष, निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल।
6. कुलसचिव, समस्त परम्परागत विश्वविद्यालय भोपाल/इन्दौर/ग्वालियर/जबलपुर/ रीवा/उज्जैन/ छतरपुर एवं छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश ।
7. कुलसचिव, समस्त निजी विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश।
8. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
9. सी.ई.ओ. एम.पी. ऑनलाइन, द्वितीय तल, डी.बी. मॉल, एम.पी. नगर,भोपाल, म.प्र. की ओर कार्यवाही हेतु ।
10. प्राचार्य, समस्त शासकीय / अशासकीय महाविद्यालय, मध्यप्रदेश ।
11. प्रभारी आई.टी. शाखा, उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।

....................की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

अवर सचिव
म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग

उच्च शिक्षा विभाग

ऑनलाइन प्रवेश : एन.सी.टी.ई. पाठ्यक्रम

वर्ष 2024–25

(राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से विनियमित पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु)
बी.एड., एम.एड., बी.पी.एड., एम.पी.एड.(द्विवर्षीय), बी.एड.एम.एड.
(एकीकृत तीन वर्षीय) एवं बी.ए.बी.एड., बी.एससी.बी.एड., बी.एल.एड.
(चार वर्षीय तथा बी.एड. (अंशकालीन–तीन वर्षीय) पाठ्यक्रमों से संबंधित

प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धान्त पुस्तिका

कार्यालय–आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, पाँचवी मंजिल भोपाल–462004

नियंत्रण कक्ष हेल्पलाइन नंबर :– 0755–2554572

E-mail:-mphe.pravesh@mp.gov.in

तकनीकी समस्या हेतु एम.पी.ऑनलाइन हेल्पलाइन नंबर 0755–6720201

विचार, कर्म एवं व्यवहार की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति ही शिक्षा है।

1.4 <u>प्रभावशीलता</u>

ये मार्गदर्शी सिद्धान्त राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता मानदण्ड तथा क्रियाविधि) विनियम, 2014 के अधीन विनियमित पाठ्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से निर्धारित विधिक अंतिम तिथि तक मान्यता प्राप्त एवं संबंधित विश्वविद्यालयों से निर्धारित विधिक अंतिम तिथि तक संबद्धता प्राप्त प्रदेश के समस्त अशासकीय महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालय के शिक्षण विभागों, जिन्हें इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों में "शिक्षण संस्था" कहा जाएगा, पर तथा प्रवेश के इच्छुक आवेदकों पर लागू होंगे।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय की याचिका (सिविल) 276/12 एवं इससे संबंधित आई.ए. 8 दिनांक 28.06.2013 में निश्चित किए गए कैलेण्डर के अनुसार सत्र 2024–25 के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पाठ्यक्रमों में प्रवेश की अंतिम तिथि 23 जून, 2024 तथा अकादमिक सत्र प्रारंभ करने की तिथि 01 जुलाई, 2024 निर्धारित है।

1.5 संस्थाओं में उपलब्ध सीट संख्याओं का विभाजन

(क) मध्यप्रदेश में संचालित होने वाले राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से विनियमित पाठ्यक्रमों बी.एड., एम.एड., बी.पी.एड., एम.पी.एड. (दो वर्षीय), बी.एड.–एम.एड. (एकीकृत तीन वर्षीय) बी.ए.बी.एड., बी.एससी.बी.एड एवं बी.एल.एड (एकीकृत चार वर्षीय) तथा बी.एड. (अंशकालीन–तीन वर्षीय) आदि।

पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु स्थानों का विभाजन निम्नानुसार होगा :–

1. मध्यप्रदेश राज्य के मूल निवासी
2. अन्य बाहरी राज्यों के अभ्यर्थी

संस्था में उपलब्ध स्थानों का श्रेणी एवं वर्गवार आवंटन इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों में पृथक से उल्लिखित आरक्षण संबंधी कण्डिका तथा उसकी उप कण्डिकाओं के अनुसार रहेगा। संस्था में कुल उपलब्ध स्थानों में से 75 प्रतिशत स्थान मध्यप्रदेश राज्य के निवासियों के लिए आरक्षित रहेंगे और अधिकतम 25 प्रतिशत स्थान मध्यप्रदेश राज्य के बाहर के निवासियों के लिए उपलब्ध रहेंगे।

(ख) माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर की डब्ल्यू.पी. 5436/2016 में पारित आदेश दिनांक 26.06. 2016 के अनुसार अल्पसंख्यक संस्थाओं में प्रवेश प्रक्रिया संपन्न की जायेगी। अल्पसंख्यक संस्थाओं में ऑनलाइन काउंसलिंग के प्रथम एवं द्वितीय चरण में 50 प्रतिशत अल्पसंख्यक विद्यार्थियों तथा 50 प्रतिशत गैर अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को क्रमशः 01:01 के अनुपात में प्रवेश दिया जायेगा, द्वितीय चरण के उपरांत यदि संस्था में कुल स्वीकृत सीट संख्या में 50 प्रतिशत तक अल्पसंख्यक आवेदकों से पूर्ति नहीं होती है तो, तृतीय चरण की ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु सीटें रिक्त बचने पर शेष रिक्त सीटों की पूर्ति गुणानुक्रम के आधार पर की जायेगी।

(ग) महिला महाविद्यालयों में पुरूष आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं है। ऐसे महाविद्यालय पंजीयन प्रक्रिया प्रारंभ होने के पूर्व यह सुनिश्चित करें कि ऑनलाइन जारी मान्यता एवं सम्बद्धता प्राप्त सूची में उनके नाम के समक्ष महिला महाविद्यालय दर्ज है।

1.6 प्रवेश प्रक्रिया की संक्षिप्त जानकारी :

प्रवेश प्रक्रिया निम्न क्रमानुसार सम्पन्न होगी–(विस्तृत विवरण पृथक से संबंधित कंडिकाओं में उपलब्ध है।) संस्थाओं को प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति के एक्ट में दिये गये प्रावधानों के तहत् संबंधित पाठ्यक्रम का सत्र 2024–25 के लिये निर्धारित शुल्क का विनियमन करवाकर आयुक्त, उच्च शिक्षा को प्रस्तुत करने पर ही ऑनलाइन 'काउंसलिंग' में शामिल किया जा सकेगा, अन्यथा स्थिति में प्रवेश प्रक्रिया से पृथक रखा जाएगा।

01 : प्रवेश प्रक्रिया हेतु पंजीयन–एम0पी0 ऑनलाइन द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण तथा महाविद्यालय की वरीयता (शुल्क सहित) व्यक्त किया जाना होगा।

02 : दस्तावेजों का सत्यापन –

1. आवेदक ऑनलाइन आवेदन के साथ ही अर्हकारी दस्तावेजों को स्कैन कर अपलोड करेंगे, हेल्प सेंटर (शासकीय महाविद्यालय) दस्तावेजों का ऑनलाइन सत्यापन करेंगे।
2. आवेदक का ऑनलाईन सत्यापन न होने की स्थिति में आवेदक द्वारा निर्धारित तिथियों में निर्धारित हेल्प सेंटर, जो कि चयनित शासकीय महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय हैं, (परिशिष्ट–3 एवं 4) में स्वयं उपस्थित होकर दस्तावेजों का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। आवेदक द्वारा निर्धारित तिथि तक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन निर्धारित शुल्क जमा करने एवं प्रवेश पोर्टल से शुल्क जमा करने की पुष्टि होने पर ही आवेदक का नाम संबंधित महाविद्यालय की प्रवेश सूची में दर्शित होगा।
3. आवेदकों को ऑनलाइन प्रवेश शुल्क जमा करने के उपरांत संबंधित हेल्प सेन्टर पर भौतिक रूप से उपस्थिति के साथ मूल दस्तावेजों के आधार पर स्केन दस्तावेजों का पुनः सत्यापन कराना होगा। त्रुटिपूर्ण सत्यापित तथा प्रवेशित विद्यार्थियों के प्रवेश संबंधित हेल्प सेन्टर के द्वारा निरस्त किए जा सकेंगे।

03 : मेरिट सूची का प्रकाशन :

अर्हताकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं बी.पी.एड., एम.पी.एड. हेतु वांछित अन्य प्राप्तांकों (क्रमशः कंडिका 5.1 एवं 5.2 अनुसार) के आधार पर प्रवेश हेतु ऑनलाइन पंजीकरण करा चुके आवेदकों की मेरिट सूची/ समेकित मेरिट सूची एम0पी0 ऑनलाइन द्वारा प्रकाशित की जाएगी।

वर्ष 2024–25 में अंतिम वर्ष की परीक्षाऐं आयोजित नहीं होने की स्थिति में ऐसे पाठ्यक्रम जिनमें प्रवेश हेतु शैक्षणिक योग्यता स्नातक निर्धारित है, के प्रथम तथा द्वितीय वर्ष के कुल प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची प्रकाशित की जायेगी तथा अनन्तिम प्रवेश दिया जायेगा। तृतीय वर्ष की परीक्षा आयोजित होने के उपरांत उसमें उत्तीर्ण होने पर ही प्रवेश को अंतिम रूप से मान्य किया जाएगा।

04 : एम.पी. ऑनलाइन द्वारा सीट आवंटन हेतु आयोजित ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए पंजीयन एवं वरीयता व्यक्त करना।

आवेदकों को प्रवेश हेतु काउंसिलिंग में सम्मिलित होने के लिए एम.पी. ऑनलाइन के पोर्टल पर महाविद्यालय की वरीयता चयन करते समय तीन विकल्पों में से एक का चयन करना होगा :–

(1) गृह जिला

(2) संभाग

(3) राज्य

टीपः– आवेदक द्वारा प्रत्येक चरण में प्रवेश हेतु संस्थाओं की वरीयता व्यक्त करते समय इसमें परिवर्तन किया जा सकेगा।

पंजीकृत आवेदकों को गुणानुक्रम एवं महाविद्यालय की व्यक्त वरीयता के आधार पर मेरिट सूची के ऑनलाइन प्रकाशन उपरांत प्रत्येक संबंधित पाठ्यक्रम के महाविद्यालयों हेतु विभिन्न श्रेणियों में लोवर कट ऑफ की जानकारी के साथ, सीट–आवंटन –पत्र (Seat-Allotment-Letter) जारी किये जायेंगे।

05 : आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश

विद्यार्थियों के हित में प्रवेश शुल्क किश्तों में जमा करने की सुविधा प्रदान करते हुए आनलाइन सीट आवंटन उपरान्त आवेदक को शुल्क विनियामक समिति द्वारा आवंटित महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय हेतु निर्धारित प्रवेश शुल्क की कुल राशि आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल के खाते में एम.पी. ऑनलाइन के पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा कराने के पश्चात् ही आवेदक के प्रवेश की प्रारंभिक प्रक्रिया पूरी होगी।

2. पाठ्यक्रमों में प्रवेश की पात्रता, प्रवेश प्रक्रिया तथा पाठ्यक्रम शुल्क : आवेदकों को संबंधित पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एन.सी.टी.ई.) के रेग्युलेशन 2014 में निर्धारित मानकों एवं मानदंडों के अनुसार संबंधित पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु निम्नांकित शर्तें पूर्ण करना आवश्यक है।

2.1 शैक्षणिक योग्यता :

क्र	पाठ्यक्रम	शैक्षणिक योग्यता/पात्रता	रिमार्क
1	बी.एड.	• स्नातक एवं स्नातकोत्तर उपाधि (विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी विषय) में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण। • इसके अतिरिक्त इंजीनियरिंग या तकनीकी (विज्ञान एवं गणित विशेषज्ञता) या अन्य समकक्ष परीक्षा 55 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण। • स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की अवधि क्रमशः तीन एवं दो वर्ष मान्य	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को अर्हतादायी अंकों में 05 प्रतिशत की छूट
2	एम.एड	• बी.एड/बी.ए. बी.एड/बी.एस.सी.बी.एड/ बी. एल.एड में 50 प्रतिशत अंकों अथवा समकक्ष ग्रेड के साथ अथवा डी.एल.एड के साथ स्नातक उपाधि (दोनों) में 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण।	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को अर्हतादायी अंकों में 05 प्रतिशत की छूट
3	बी.पी.एड	• किसी विषय में स्नातक डिग्री न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण तथा कम से कम ए.आईयू/आई.ओ.ए/एस.जी.एफ.आई /भारत सरकार द्वारा यथा मान्यता प्राप्त खेलकूद में अंतर महाविद्यालय/अंतर क्षेत्रीय / जिला / विद्यालय स्तरीय प्रतियोगिता में भागीदारी। अथवा • शारीरिक शिक्षा में स्नातक उपाधि न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण। अथवा • किसी विषय में स्नातक डिग्री (शारीरिक शिक्षा में अनिवार्य/वैकल्पिक विषय के साथ) न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण। अथवा • स्नातक डिग्री न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण और राष्ट्रीय/अंतर विश्वविद्यालय/राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भागीदारी अथवा ए आई यू/आई ओए/एस जी एफ आई/भारत सरकार द्वारा यथा मान्यता प्राप्त खेलकूद में अंतर महाविद्यालय/ अंतर क्षेत्रीय/जिला/विद्यालय स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, अथवा तृतीय स्थान। अथवा • अंतराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भागीदारी के साथ	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को अर्हतादायी अंकों में 05 प्रतिशत की छूट

3. **सीटों का आरक्षण :**

3.1 आरक्षण प्रतिशत :

अ. मध्यप्रदेश के मूल निवासियों के लिए आरक्षित 75 प्रतिशत एवं बाहरी राज्यों हेतु उपलब्ध 25 प्रतिशत स्थानों में से विभिन्न श्रेणियों के लिए स्थानों का आरक्षण प्रतिशत निम्नानुसार होगा :

स0क्र0	श्रेणी	मध्यप्रदेश के मूल निवासी	बाह्य राज्य के निवासी
1	अनुसूचित जाति	16 प्रतिशत	15 प्रतिशत
2	अनुसूचित जनजाति	20 प्रतिशत	7.5 प्रतिशत
3	अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमी लेयर छोड़कर)	14 प्रतिशत	14 प्रतिशत
4	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.)	10 प्रतिशत	10 प्रतिशत

नोट: मध्यप्रदेश के राजपत्र क्रमांक 349 भोपाल दिनांक 14.08.2019 में प्रकाशित संशोधन क्रमांक 13681-227-इक्कीस-अ (प्रा.) अधि. दिनांक 13.08.2019 के द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण में संशोधन किया गया। रिट याचिका क्रमांक 5901/2019 द्वारा : सुश्री आशिता दुबे विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन में माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा दिनांक 19.03.2019 को पारित आदेश के परिपेक्ष्य में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण प्रतिशत की सीमा पूर्व 14 प्रतिशत ही रखा गया है। इस संबंध में माननीय न्यायालय के निर्णयानुसार इसे परिवर्तित किया जा सकेगा।

ब- मध्यप्रदेश राज्य के सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रत्याशियों में विभिन्न संवर्गों का आरक्षण निम्नानुसार होगा :

1. सैनिक संवर्ग के प्रत्याशियों के लिये 03 प्रतिशत।
2. स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र/पुत्रियों एवं पौत्र/पौत्रियों/नातियों/नातिनों के लिए 03 प्रतिशत।
3. निःशक्त प्रत्याशियों के लिये 05 प्रतिशत।
4. विधवा/परित्यक्ता के लिये 01 प्रतिशत।

3.2 महिलाओं के लिये आरक्षण शासन के नियमानुसार 30 प्रतिशत क्षैतिजीय (Horizontal) है। कुल स्थानों की 30 प्रतिशत सीटों पर महिलाओं को उनकी मेरिट (योग्यता क्रम) के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा।

3.2.1 सैनिक संवर्ग (एस) : कुल स्थानों के तीन प्रतिशत सीटें क्षैतिजीय आरक्षण (Horizontal Reservation) के अधीन सैनिक कर्मचारियों व उनके पुत्र, पुत्रियों या पत्नियों के लिये आरक्षित होंगी। सैनिक वर्ग में रक्षा कर्मचारियों के रूप में सेवा कर चुके भूतपूर्व सैनिक, कार्यरत रक्षा कर्मचारी तथा ऐसे रक्षा कर्मचारी जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हो चुकी हो या जो सेवा के दौरान स्थाई रूप से विकलांग हो गये हों, आते हैं। इस वर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु दावा करने वाले उम्मीदवार को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित भूतपूर्व सैनिक का पुत्र/पुत्री है। भूतपूर्व सैनिक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई, भूतपूर्व सैनिक की परिभाषा के अंतर्गत आता है। भूतपूर्व सैनिक के पुत्र/पुत्री के फलस्वरूप प्रवेश का दावा करने वाले उम्मीदवार को अपने पिता/माता का भूतपूर्व सैनिक संबंधी प्रमाण-पत्र तथा अपने पिता/माता के मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित होने संबंधी प्रमाण पत्र संबंधित जिले के जिला सैनिक कल्याण अधिकारी (पूर्व पदनाम सचिव जिला सैनिक बोर्ड) से प्राप्त कर प्रस्तुत करने होंगें।

अथवा

मध्यप्रदेश के बाहर पदस्थ ऐसे रक्षा कर्मचारी का/की पुत्र/पुत्री, जो मध्यप्रदेश का वास्तविक निवासी हैं। ऐसे उम्मीदवार को अपने पिता/माता के मध्यप्रदेश का वास्तविक निवासी होने संबंधी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

अथवा

प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ करने की तिथि से अथवा उसके पूर्व की तिथि से प्रवेश की तिथि तक मध्यप्रदेश में पदस्थ रक्षा कर्मचारी का/की पुत्र/पुत्री है।

टिप्पणी : सैनिक वर्ग के अंतर्गत किसी उम्मीदवार की पात्रता के संबंध में किसी संदेह अथवा विवाद की स्थिति में संचालक, सैनिक कल्याण, मध्यप्रदेश द्वारा प्रदत्त निर्णय अंतिम होगा।

3.2.2 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संवर्ग (F.F.) –

कुल स्थानों के तीन प्रतिशत स्थान क्षैतिजीय आरक्षण (Horizontal Reservation) के अधीन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग में स्वतंत्रता सेनानियों के उन पुत्र/पुत्रियों एवं पौत्र/पौत्रियों/नातियों/नातिनों को भी प्रवेश की पात्रता होगी जो मध्यप्रदेश के वास्तविक निवासी होने की शर्त भी पूर्ण करते हैं। इस नियम के प्रयोजन के लिये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से तात्पर्य यह है कि उसका नाम मध्यप्रदेश के संबंधित जिले के कलेक्ट्रेट में रखी हुई सूची में पंजीकृत है।

टिप्पणी : स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु आवेदन करने वाले उम्मीदवार को संबंधित जिले के कलेक्टर से निर्धारित प्रारूप में प्रमाण–पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा। केवल कलेक्टर या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण–पत्र ही किसी उम्मीदवार के इस वर्ग का होने संबंधी एक मात्र वैध प्रमाण पत्र होगा।

3.2.3 निःशक्तजन (विकलांग) : कुल स्थानों का पांच प्रतिशत क्षैतिजीय आरक्षण (Horizontal Reservation) निःशक्तजनों (विकलांग) के लिए उपलब्ध रहेगा। इस संवर्ग में शासन के नियमानुसार आरक्षण हेतु दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित एवं अस्थिबाधित आवेदकों को पात्रता होगी। इस संवर्ग के स्थानों के विरूद्ध प्रवेश का दावा करने वाले उम्मीदवार को विकलांगता संबंधी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

3.2.4 विधवा/परित्यक्ता: इस संवर्ग का दावा करने पर महिला प्रत्याशी को प्रवेश के समय सक्षम अधिकारी द्वारा जारी ऐसा वैधानिक प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिससे स्पष्ट हो कि प्रत्याशी विधवा/परित्यक्ता महिला है। कुल 30 प्रतिशत महिला स्थानों के लिये आरक्षित स्थानों के अंतर्गत एक प्रतिशत स्थान विधवा/परित्यक्ताओं के लिए आरक्षित है।

3.3 यदि आवेदक भारत सरकार या मध्यप्रदेश सरकार द्वारा संचालित किसी योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित किया गया है तो इस संवर्ग के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

3.4 संबंधित बाहरी राज्य के अधिसूचित एवं सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के आधार पर ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को लाभ मिल सकेगा। बाह्य राज्य के आवेदकों के आरक्षण संबंधी प्रमाण–पत्र संलग्न प्रारूप अनुसार होने पर ही मान्य होंगे। (संलग्न – प्रमाण पत्र प्रारूप 7 एवं 8)

3.5 सक्षम अधिकारी द्वारा जारी तत्संबंधी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर ही संबंधित वर्ग/संवर्ग का लाभ देय होगा।